

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्द करण राठौड़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूअ.) जोधपुर) सू.अ. अपील संख्या १११/2024</p> | <p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की लागू में जारी हुए</p> |
| <p>16 / 12 / 2024</p> | <p>अपीलार्थी गोविन्द करण राठौड़ निवासी 79, हनुवन्त बी, सेक्टर बी,, बी.जे.एस., जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्र दिनांक 24.06.2024 को गांव झंवर के विभिन्न खसरों की गिरदावरी व जमाबन्दियां से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूअ.) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रस्यो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूअ.) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रस्यो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूअ.) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 12322 दिनांक 27.11.2024 से बतलाया कि कार्यालय के पत्रांक 6697 दिनांक 08.07.2024 द्वारा कार्यालय हाजा के रेकर्ड शाखा में उपलब्ध सूचना तैयार कर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण) को प्रेषित की गई, परंतु लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण) द्वारा उक्त सूचना से प्रार्थी को अवगत नहीं कराया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/सूचना के स्पष्टीकरण लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण) के स्तर लंबित है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को उक्त सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे व भविष्य में अधीनस्थ कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर समय पर प्रार्थी को उपलब्ध करायी जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p> | |

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.12.16 15:16:38 IST
Reason: Approved